

(3)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 89/2018 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक,
ए0यू0स्माल फाइनेन्स बैंक लि0, पता
19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर
रोड़-जयपुर-302001

उनवान

- बनाम 1.श्री दौलतसिंह पिता गोविन्दसिंह चौहान
निवासी सवाईपुर त0 कोटड़ी
द्वितीय पता- श्री दौलतसिंह चौहान पट्टा
सं0 10 डसानियोंका खेड़ा ग्रा0पं0 सवाईपुर
2.श्री गोविन्दसिंह पिता जोधसिंह निवासी
पटवार भवन के पास ग्राम सवाईपुर त0
कोटड़ी
3.श्रीमती शाबी कंवर पत्नि गोविन्द सिंह
निवासी पटवार भवन के पास ग्राम सवाईपुर
4.श्री देवीलाल पिता गोरीलाल आचार्य
निवासी बांका का खेड़ा त0 कोटड़ी

— प्रार्थी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित :- श्री प्रदीप व्यास प्रार्थी अधिवक्ता

आदेश

दिनांक : 27/06/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, ए0यू0स्माल फाइनेन्स बैंक लि0 19-ए धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड़, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम डसानियों का खेड़ा(सवाईपुर) के आबादी हल्का में ग्राम पंचायत सवाईपुर द्वारा श्री दौलतसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत नि0 डसानियों का खेड़ा (सवाईपुर) के नाम आवासीय भूखण्ड का पट्टा संख्या 10 दिनांक 01.04.2009 को 47 फीट गुणा 32 फीट कुल क्षेत्रफल 1504 वर्गफीट का भूखण्ड मय निर्माण के पट्टे का पंजीयन दिनांक 31.12.2013 से करा स्वामित्व प्राप्त किया एवं अप्रार्थी संख्या 02 श्री गोविन्दसिंह पिता जोधसिंह राजपूत निवासी सवाईपुर को ग्राम सवाईपुर की आबादी में स्थित एक भूखण्ड 136 फीट गुणा 28 फीट कुल क्षेत्रफल 3808 वर्गफीट का जारी किया जिसके दस्तावेज का पंजीयन दिनांक 11.08.2010 को करा स्वामित्व प्राप्त किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

(9)

के द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्डों को मय निर्माण सहित रहन रखा गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को डी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शुचि/त्यागी)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा